UPJS010000942026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आवश्यक वस्तु अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी ।

उपस्थितः- जितेन्द्र यादव (एच०जे०एस०)

I. D. No. - UP2662

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 35/ 2026

(CNR No. UPJS0100- 0094- 2026)

मौ० फैजान उम्र 35 वर्ष पुत्र मौ० इनायत निवासी- 261, बंगलाघाट (अन्दर बड़ागाँव गेट) थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी । . . . . . **अभियुक्त ।**

बनाम

उ०प्र० राज्य . . . . . **अभियोजक ।**

धारा- 108 बी०एन०एस०

थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी ।

मुकदमा अपराध सं०- 396/ 2025

1. मु०अ०सं०- **396/ 2025** धारा- **108 बी०एन०एस०**, थाना- **कोतवाली,** जिला- **झाँसी** में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व आवेदक/ अभियुक्त **मौ० फैजान** की ओर से यह **प्रथम** जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है ।

2. अभियोजन केस के अनुसार वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुशवाहा ने दिनांक 19- 12- 2025 को समय 16. 13 बजे, थाना- कोतवाली, जिला- झाँसी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मैं सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र श्री जमना कुशवाहा निवासी - बड़ागाँव गेट अन्दर खारी बाग झाँसी का निवासी हूँ। दिनांक 19- 12- 2025 को मेरी पत्नी किरन कुशवाहा ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मेरी पत्नी को मेरा पड़ोसी फैजन आये दिन परेशान करता था जिसके कारण उसने आज फाँसी लगा ली है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाहीकरने की कृपा करें। रिपोर्ट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ ।

3. प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन पक्ष की उक्त कहानी नितान्त असत्य व बनावटी है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे उक्त मुकदमा में रंजिशन एवं साजिशन गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को थाना कोतवाली की पुलिस दिनांक 20- 12- 2025 को पूंछताछ के बहाने, घर से लिवाकर ले गयी थी और अगले दिन उसे उक्त फर्जी केस में जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी/ अभियुक्त एक निहायत ही सीधा- साधा, संभ्रान्त व चरित्रवान शादीशुदा व बच्चेदार व्यक्ति है जो रेलवे विभाग में सरकारी मुलाजिम है। प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथाकथित घटना का समय नहीं दर्शाया गया है एवं तथाकथित घटना का कोई गवाह नहीं दर्शाया गया है। वादी मुकदमा अपनी घरेलू जरूरते बताते हुये , प्रार्थी/ अभियुक्त से 1,00,000/ - रूपये उधार लिये थे और काफी माँगे जाने पर भी नहीं लौटा रहा था तब प्रार्थी/ अभियुक्त ने वादी मुकदमा से उसकी पुलिस में शिकायत करने की बात कही थी जिससे वह प्रार्थी/ अभियुक्त से बुराई मान गया और देख लेने की धमकी दी

Digitally signed by JITENDRA YADAV
Date: 2026.01.23 16:27:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थी। वादी मुकदमा द्वारा अपनी पत्नी से दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती से एक झूठी एफ०आई०आर० थाना- कोतवाली में मु०अ०सं० - 386/ 2025 पर दर्ज करवा दी थी। पुलिस द्वारा जाँच करने पर , वादी की पत्नी द्वारा सारी सच्चाई बता दी गयी थी तो वादी मुकदमा बुरी तरह बौखला गया था और पत्नी के साथ गाली- गलौज व मारपीट करने लगा था जिससे प्रताड़ित होकर उसने स्वयं आत्महत्या कर ली और दबाव बनाने की नीयत से रंजिशन व साजिशन प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रार्थी / अभियुक्त की उसकी पत्नी से उसकी मृत्यु से पूर्व बातचीत हुई हो और उसने उसे आत्महत्या के लिये उकसाया हो या कहा हो। वादी मुकदमा का परिवार एक ही मोहल्ले में आस - पास में रहते है तथा वादी मुकदमा के स्वयं के घर में उसकी माँ, पिता, भाई व दो लड़के जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष व 7 वर्ष है। इसलिये किसी भी व्यक्ति का उनके घर में जाना और कोई बात कहना सम्भव ही नहीं है , तो प्रार्थी/ अभियुक्त का उनके घर जाने का कोई और कोई घटना करने का प्रश्न ही नहीं होता है। प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त लगभग 17 दिन से जेल में निरूद्व है। अतः उक्त आधारों पर जमानत की याचना की है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा गया है कि अभियुक्त ने वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुशवाहा की पत्नी किरन कुशवाहा को आये दिन परेशान करने, जिससे तंग आकर वादी मुकदमा की पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध कारित किया है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त को नामित करते हुये, प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। केस डायरी के पर्चा नं० - 6 अनुसार अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अलावा एक अन्य प्रकरण मु०अ०सं० - 386/ 2025, जो छेड़खानी एवं मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में मृतका द्वारा पूर्व में दर्ज कराया गया था एवं मृतका का सुसाइड नोट, जो केस डायरी के पर्चा नं०- 7 पर दर्ज है, उसमें भी अभियुक्त को नामित किया गया है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्को में जमानत प्रार्थनापत्र के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए यह भी तर्क रखा गया कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में दिनांक- 21- 12- 2025 से निरूद्ध है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री राजेन्द्र रावत एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ साहू एडवोकेट को सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा सुरेन्द्र कुशवाहा ने मृतका श्रीमती किरन कुशवाहा के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद अभियुक्त मौ० फैजान के नाम पंजीकृत कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट , केस डायरी पर उपलब्ध साक्षीगण सुरेन्द्र कुशवाहा वादी मुकदमा के बयान , पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं मेडिकल साक्ष्य आदि को देखा। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। थाने से अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अलावा एक अन्य प्रकरण का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यक्ष भूमिका बतायी गयी कि उसके द्वारा मृतका को इस सीमा तक प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। राज्य की ओर से मेरे समक्ष साक्षी सुरेन्द्र कुशवाहा वादी मुकदमा के बयान अन्तर्गत धारा - 161 सीआर०पी०सी० पर ध्यान

आर्कषित किया गया है , जिसमें वादी ने कथन किया है कि दिनांक 19- 12- 2025 को मेरी पत्नी किरन कुशवाहा ने फाँसी लगाकर आत्महत्या करी ली है। मेरी पत्नी को मेरा पड़ोसी फैजान आये दिन परेशान करता था जिसके कारण उसने आज फाँसी लगा ली है। मेरी पत्नी के साथ फैजान ने दिनांक 10- 12- 2025 को भी घर में घुसकर छेड़खानी की थी तभी से मेरी पत्नी परेशान थी। केस डायरी के अनुसार मृतका द्वारा पूर्व में भी अभियुक्त मौ० फैजान को नामित करते हुये मु०अ०सं० - 386/ 2025 धारा- 333, 74, 351(3) बी०एन०एस० के अन्तर्गत दर्ज कराया गया था एवं मृतका के सुसाइड नोट , जिसमें भी अभियुक्त मौ० फैजान का नाम आया है।

8. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त के विरूद्व अपराध में संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित की गई है एवं प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है। फलस्वरूप अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए , प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी/ अभियुक्त **मौ० फैजान** पुत्र मौ० इनायत की ओर से मु०अ०सं० - **396/ 2025,** धारा- **108 बी०एन०एस०,** थाना- **कोतवाली,** जिला- **झाँसी** के प्रकरण में प्रस्तुत **प्रथम** जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक- 23- 01- 2026

(जितेन्द्र यादव)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०) /
अपर सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।